



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र सं० :- 117 / पी० एम० ए० वाई० सेल / 2020

दिनांक :- 17.06.2020

प्रभारी कम्प्यूटर

कृपया अवगत कराना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निजी विकासकर्ताओं की निम्न योजना दिनांक 11.06.2020 से दिनांक 10.07.2020 तक के लिए ऑन लाईन प्रकाशित की गई है जिसमें ऑन लाईन आवेदन फार्म में आवेदक का आधार कार्ड/निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने का प्राविधान है।

क्र. सं.	योजना का नाम	भूखण्डों की संख्या	रेरा की पंजीकरण संख्या	भूखण्डों का कारपेट एरिया (वर्ग मी०)	योजना कोड व सम्पत्ति कोड	पंजीकरण राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मै० महालक्ष्मी बिल्डटैक लि० ("MIGSUN ATHARVA" / खसरा सं०-31 मि०) ग्राम गोरटा, जिला-गाजियाबाद	546	UPRERAPRJ625784	22.77	894-41D	5000.00
2	मै० ए.टी.एस. ग्रैंड रियल्टर्स प्रा० लि० (खसरा सं०-339, 340, 349 व 350) ग्राम रसूलपुर सिव्.रोड, जिला- गाजियाबाद	489	UPRERAPRJ962888	22.81	895-41D	5000.00

उक्त योजनाओं में आवेदन फार्म के साथ संलग्न प्रपत्रों के सम्बन्ध आई समस्या के दृष्टिगत वर्तमान में चल रही योजना के आवेदन फार्म में निम्न प्राविधान किये जाने अत्यन्त आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 16.06.2020 अनुसार उक्त योजना में निम्न प्राविधान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं :-

1. आवेदक के आवेदन फार्म के साथ उसका आधार तथा आवेदक की पत्नी का आधार कार्ड आवेदक के शादीशुदा न होने पर उसके पैरेंट्स का आधार कार्ड।
2. आवेदक के आवेदन फार्म के साथ बैंक के पासबुक की फोटो कॉपी जिसमें आई०एफ०एस०सी० कोड एवं खाता संख्या अंकित हो।
3. विकलांग प्रमाण पत्र।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 16.06.2020 के अनुपालन में उक्त योजनाओं में उक्त बिन्दु 1,2 व 3 में अंकित प्राविधान अपलोड कराने का कष्ट करें।

(सी. प्री. त्रिपाठी)
अपर सचिव